एसडीएम गरीबों को हक नहीं दिला पाए तो मैं जनवरी का वेतन नहीं लूंगा : कलैक्टर हसीजा

हर गरीब को खाद्य सुरक्षा का गेंहू इसी माह मिले, बुजुर्गो-एकल नारियों की पेंशन न रुके, यह हमारा ध्येय : जिला कलैक्टर अरुण कुमार हसीजा

- **जिला कलैक्टर अरुण कुमार हसीजा ने कहा कि सभी एसडीएम इस माह गरीबों को उनके अधिकार नहीं दिला पाए तो वे स्वयं जनवरी माह का वेतन नहीं लेंगे**
- **मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राजसमंद कलैक्टर अरुण कुमार हसीजा को फोन कर कहा कि सरकार की प्रत्येक योजना में राजसमंद की है प्रगति संतोषजनक है**
- **मुख्य सचिव ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि वे (जिला कलैक्टर) पालनहार, पेंशन सत्यापन और एनएफएसए के लंबित कार्य भी इस माह कर लेंगे पूर्ण, ऐसे में वेतन रोके जाने की आवश्यकता नहीं है**

राजसमंद, (निसं)। प्रशासनिक हल्के में जिला कलैक्टर अरुण कुमार हसीजा का एक प्रण चर्चा का विषय बना हुआ है। सुशासन का संदेश देते हुए गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद परिवारों को समय पर उनका हक दिलाने के लिए जिला कलैक्टर ने स्पष्ट शब्दों में सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि पालनहार योजना, पेंशन सत्यापन और एनएफएसए के सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण इसी माह अनिवार्य रूप से किया जाए। निरंतर सभी विकास अधिकारियों, तहसीलदार के माध्यम से समीक्षा की जाए और कोई भी पात्र वंचित न रहे।

जिला कलैक्टर हसीजा ने कहा कि जिन बच्चों के सिर से पिता का साया उठ चुका है, उनका पालनहार सत्यापन 28 जनवरी तक हर हाल में पूरा हो। जो वृद्ध, दिव्यांग और निराश्रित पेंशन के लिए तरस रहे हैं, उनका सत्यापन इसी माह हो और जो गरीब परिवार गेहूं के इंतजार में हैं, उन्हें एनएफएसए का लाभ इसी माह मिलना चाहिए। जिला कलैक्टर ने दंडात्मक कार्रवाई के बजाय प्रेरणा, उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन के माध्यम से परिणाम लाने का सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सभी एसडीएम इस माह गरीबों को उनके ये अधिकार नहीं दिला पाए, तो वे स्वयं जनवरी माह का वेतन नहीं लेंगे।

अपने प्रण को व्यवहार में उतारते हुए जिला कलैक्टर ने कलेक्ट्रेट के लेखाधिकारी प्रवीण सिंह को निर्देश दिए कि उनका (कलैक्टर का) जनवरी माह का वेतन बिल तब तक नहीं बनाया जाए, जब तक सभी एसडीएम शत प्रतिशत सत्यापन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर देते।

जिला कलैक्टर के इस संकल्प के बाद शनिवार के अवकाश के दिन भी जिले के सभी उपखंड अधिकारी और प्रशासनिक अमला पालनहार, पेंशन सत्यापन और एनएफएसए के लंबित प्रकरणों के निस्तारण में जुट गया। इससे यह उम्मीद जगी है कि इसी माह इन सभी योजनाओं के लक्ष्य पूरे होंगे और पात्र गरीबों को उनका अधिकार मिलेगा।

यह पहल एक ऐसे संवेदनशील और जिम्मेदार अधिकारी का उदाहरण है, जो अपने पद को नहीं, अपने कर्तव्य और मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता देता है। राजसमंद में जिला कलैक्टर का यह प्रण प्रशासनिक सेवा में जनकल्याण और नैतिक नेतृत्व की एक प्रेरणादायी मिसाल बनकर सामने आया है।

मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राजसमंद जिला कलैक्टर अरुण कुमार हसीजा को फोन कर कहा कि सरकार की प्रत्येक योजना में राजसमंद की है प्रगति संतोषजनक है। उन्हें विश्वास है कि वे (जिला कलैक्टर) पालनहार, पेंशन सत्यापन और एनएफएसए के लंबित कार्य भी इस माह कर लेंगे पूर्ण, ऐसे में वेतन रोके जाने की आवश्यकता नहीं है।

जिला कलैक्टर अरुण कुमार हसीजा ने कहा कि मुख्य सचिव की सहृदयता से हूँ अभिभूत, लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे।

छीपाबड़ौद में आठ लाख का 93 किलो डोडा-चूरा जब्त

जब्त अफीम डोडा-चूरा को थाने में रखवाया।

छीपाबड़ौद, (निसं)। पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर आठ लाख की कीमत का 93 किलो मादक पदार्थ अफीम डोडा-चूरा जब्त किया गया।

पुलिस अधीक्षक बारा अभिषेक अदाशु ने बताया कि जिले में अवैध शराब बिक्री, हथियार एवं मादक पदार्थों की रोकथाम के लिये चलाए जा रहे अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी के निकटतम सुपरविज्ञान में ताराचन्द वृताधिकारी वृत्त छाबड़ा के निर्देशन में थानाधिकारी दिग्विजय सिंह पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता के दीगोद खालसा पहुंचा, जहां पर मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम लाम्बाखेडा निवासी सोनू लोधा तस्करी का काम करता है, जिसने अपने मकान के पास के बाड़े में चारे में कोई संदिग्ध वस्तु छुपा रखी है, जिसमें कोई अवैध वस्तु हो सकती है। मुखबीर की सूचना विश्वसनीय होने से सूचना से हमराही जाब्ता को अवगत करवाकर थानाधिकारी मय जाब्ता रवाना होकर सोनू लोधा के घर के पास पहुंचा सोनू घर पर मौजूद नहीं मिला।

उसके बाद सोनू लोधा के मकान के पास के बाड़े से पहुंचा जहां पर मक्का की कड़ब पड़ी हुई है, कड़ब के नीचे सफेद कट्टे रखे हुये दिखाई दिये, इसके बाद मन थानाधिकारी दिग्विजय सिंह पुलिस निरीक्षक ने उक्त स्थान की तलाशी ली तो मक्का की कड़ब में छिपे हुए कुल सात प्लास्टिक के कट्टे किसी संदिग्ध वस्तु से भरे हुए मिले, जिनके मुँह सिले हुए थे, जिनका मुंह खोलकर देखा तो प्रत्येक कट्टे में अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा-चूरा भरा हुआ था। सात प्लास्टिक के कट्टो को कब्जे में लेकर डोडा-चूरा का तोल किया अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा का वजन मय बारदाना के 93.130 किलोग्राम हुआ, जिसे जब्त किया गया।

प्रदेश में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक

- **राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि असंतोष से बचने के लिए यह कदम जरूरी**
- **आदेश वरिष्ठता सूची को लेकर दायर कई रिट याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया गया**
- **सरकार के अनुरोध पर कोर्ट ने सभी मामलों की अगली सुनवाई की तारीख 27 जनवरी तय की**

बीकानेर, (निसं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पदों पर पदोन्नति से जुड़े मामलों में अहम आदेश दिया है। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने साफ किया कि पदोन्नति के बाद प्रस्तावित तबादले-पोस्टिंग फिलहाल अगले आदेश तक स्थगित रहेंगे। यह आदेश वरिष्ठता सूची को लेकर दायर कई रिट याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया गया। कोर्ट ने कहा कि ये मामले वर्ष 2023 से लंबित हैं और बार-बार स्थगन मांगे जा रहे हैं। इस बीच विभाग ने पदोन्नत अधिकारियों से वरिष्ठता सूची के आधार पर विकल्प लेकर तबादले करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जबकि वही वरिष्ठता सूची अदालत में चुनौती के दायरे में है। ऐसे में संतुलन बनाए रखने और बार-बार तबादलों से उत्पन्न असंतोष से बचने के लिए यह कदम जरूरी है। हाईकोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि पहले जारी अंतरिम आदेशों (10 फरवरी 2025 और 8 अगस्त 2025) में स्पष्ट किया गया था कि सभी पदोन्नतियां और पोस्टिंग अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी।

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रिव्यू डीपीसी/डीपीसी की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके बाद कोर्ट ने स्पष्ट किया कि काउंसलिंग के आधार पर प्रस्तावित तबादले अगली सुनवाई तक लागू नहीं होंगे। राज्य सरकार के अनुरोध पर कोर्ट ने सभी मामलों की अगली सुनवाई की तारीख 27 जनवरी 2026 तय की है।

राजस्थान में 25 हजार से ज्यादा शिक्षा अधिकारी हैं, जिनके प्रमोशन पर इस आदेश का सीधा असर पड़ेगा। इस आदेश के बाद प्रदेशभर में हो रही प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की काउंसलिंग पर एक बार रोक लग जाएगी। अब हाईकोर्ट में अगली सुनवाई के बाद ही शिक्षा विभाग प्रमोशन और पोस्टिंग कर सकेंगे। इस आदेश से पिछले दिनों हुए तबादलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग में अलग अलग विषयों के टीचर्स को प्रिंसिपल के रूप में प्रमोशन मिलता है। इससे प्रमोशन की वरिष्ठता पर असर पड़ता है। इसी कारण बड़ी संख्या में टीचर्स ने हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। टीचर्स का कहना है कि एक साथ सभी विषयों का प्रमोशन नहीं होने के कारण वरिष्ठता प्रभावित होती है। ऐसे में हाईकोर्ट ने 9 याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

विद्युत विभाग के ठेकाकर्मी की मौत, परिजनों व ग्रामीणों ने धरना दिया

मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख एवं एक जने को संविदा पर नौकरी देने की मांग की

- **विद्युत विभाग में कार्यरत ठेकाकर्मी की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत का मामला**
- **पुलिस व तहसीलदार द्वारा समझाइश पर मामला शांत हुआ**

कोटा, (निसं)। कोटा ग्रामीण इलाके के बपावर कलां इलाके में विद्युत विभाग में ठेके पर कार्यरत ठेकाकर्मी की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक की मौत के बाद स्थानीय ग्रामीणों व परिजनों ने बपावर कलां इलाके में स्थित विद्युत कार्यलय के बाहर मृतक के शव को रखकर धरना दिया एवं प्रदर्शन कर मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख एवं एक जने को संविदा पर नौकरी देने की मांग की।

विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर हंगामे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची बाद में सांगोद तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन व धरना देकर बैठे लोगों से समझाइश की, काफी समझाइश के बाद कुछ मांगों पर सहमति बनने के बाद धरने को समाप्त किया गया। जानकारी के अनुसार हेमंत कुमार सुमन बिजली विभाग में ठेके पर एफआरटी में काम करता था। चार जनवरी को थाने के सामने वाले पॉल पर चढ़कर फॉल्ट को सही कर रहा था, उसी समय अचानक से लाईट की सप्लाई चालू कर दी गई, जिससे पोल पर चढ़कर काम कर रहा हेमंत झुलस गया और वह खंभे से नीचे गिरकर घायल हो गया। जिसे उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि बिजली विभाग में कार्यरत ठेकाकर्मी हेमंत कुमार सुमन कुछ दिन पूर्व काम के दौरान करंट लगने से झुलस गया था, जिसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। ग्रामीणों व परिजनों ने आर्थिक मदद सहित अन्य मांगों को लेकर बपावर कलां में विद्युत कार्यलय के बाहर धरना दिया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस व तहसीलदार द्वारा समझाईश कर मांगों पर कुछ सहमति बनने के बाद मामला शांत हुआ।

हथियारों के पुर्जे व विस्फोटक सामग्री रखने वाला आरोपी गिरफ्तार

भारी मात्रा में बारूद और हथियार बरामद

पुलिस ने विस्फोटक सामग्री रखने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

देवली, (निसं)। जिले की डीएसटी और देवली पुलिस ने देवली स्थित पटवा बाजार में अवैध हथियारों के पुर्जे और विस्फोटक सामग्री रखने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार देवली शहर के पटवा बाजार निवासी राजू लुहार पुत्र नारायण लुहार के चाकू छुरियों को धार करने वाले कारखाने पर डीएसटी और देवली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए छापा मारा है। इस दौरान टोंक डीएसटी और देवली पुलिस ने यहां पाया कि आरोपी राजू लुहार के कारखाने पर अवैध तरीके से आग्नेयास्त्रों की मरम्मत और विस्फोटक पदार्थों और सामग्री की बिक्री खुलेआम की जा रही थी। संयुक्त कार्रवाई मे तलाशी के दौरान पुलिस ने दुकान से 21 किलो 670 ठाम विस्फोटक बारूद, 6 लोहे की तलवारें और 3 लाख 3 हजार 470 रुपये की नकदी बरामद की है। इसके अलावा भारी मात्रा में आग्नेयास्त्रों के पुर्जे भी पुलिस को कार्रवाई के दौरान मिले हैं। पुलिस ने पाया कि कारखाने पर बंदूक के लोहे के घोड़े, मक्खी (एकनाली, दोनाली), बन्दूकों की 860 टोपियां, 34 लोहे की प्लेटें शामिल हैं। पुलिस ने मौके से अवैध हथियारों के काम में प्रयुक्त होने वाले औजार भी जब्त किए हैं।

देवली थाना प्रभारी दौलत राम गुर्जर ने बताया कि कारखाने के मलिक आरोपी राजू लुहार ने इन सामग्रियों के संबंध में कोई वैध लाइसेंस पेश नहीं कर सका, जिसके बाद उस गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब इस मामले में आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है कि आरोपी राजू लुहार के द्वारा आखिरकार इतना बारूद और हथियार और बन्दूकों के पुर्जे के कहाँ किसे सप्लाई किए जाने थे।

पारिवारिक विवाद में युवक ने सुसाईड किया

कोटा, (निसं)। नयापुरा थाना इलाके में पारिवारिक विवाद के चलते घर में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाईड कर लिया। जानकारी के अनुसार युवक की पत्नी विवाद की शिकायत करने को लेकर थाने पहुंची तो पीछे से पति ने फांसी का फंदा लगा लिया। नयापुरा थानाधिकरी विनोद कुमार ने बताया कि इलाके के बृजराज कॉलोनी निवासी महावीर सिंह राजावत की पत्नी पारिवारिक विवाद के चलते शुक्रवार को पति की शिकायत करने थाने आई, जिस पर पुलिसकर्मियों को महिला के घर भेजा गया, तो महावीर सिंह राजावत (32) फांसी के फंदे पर लटका हुआ था, जिसे उतारकर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। थानाधिकारी ने बताया कि मृतक मोबाइल ऑपरेटिंग कंपनी में टेक्नीशियन के पद पर था, किसी बात को लेकर दोनों पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया था। थानाधिकारी ने बताया कि शनिवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया।

चार माह से फरार चोर गिरफ्तार

डूंगरपुर, (निस)। रामसागड़ा थाना पुलिस ने 4 महीने से फरार एक शातिर चोरी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वारदात के बाद से अपना नाम और ठिकाना बदलकर राजस्थान और गुजरात में भागता फिर रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्त में लेकर चोरी का माल भी बरामद कर लिया है।

रामसागड़ा थानाधिकारी ने बताया कि गिरीश पुत्र प्रेमजी रोत निवासी रातापानी की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। इसमें बताया कि 12 से 19 सितंबर के बीच उसके घर में चोरी की वारदात हुई। घर से सोने-चांदी के जेवर चुराकर ले गए। मामले में पुलिस ने छानबीन करते हुए आरोपी किरीट पुत्र शांतिलाल खराडी निवासी नवाघरा गैंजी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने चोरी की वारदात कबूल कर ली है। वहींजेवर भी जब्त कर लिए हैं।

12 साल पुराने मामले में तस्कर को दो साल की सजा

जोधपुर, (कासं)। एनडीपीएस न्यायालय जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने 12 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ अफीम के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 2 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी के लिए नियुक्त गोविन्द जोशी विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस जोधपुर ने बताया कि 25 अप्रेल 2014 को पुलिस थाना डांगियावास के तत्कालीन थानाधिकारी हरजीराम अपने पुलिस जाब्ता के साथ वाहन चैकिंग के लिए जा रहे थे तो कोकुंडा गांव के पास पुलिस को देखकर एक मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर जा रहे हमीरराम ने अपनी जेब से निकालकर अफीम की थैली नीचे फेंक दी। पुलिस ने उस 100 ग्राम अफीम की थैली को बरामद कर मोटरसाइकिल चालक शिवलाल और पीछे बैठे हमीरराम को गिरफ्तार किया तथा बाद अनुसंधान आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

गोविन्द जोशी विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस जोधपुर ने न्यायालय से वर्तमान में अवैध मादक पदार्थों के मामलों में उत्तरोत्तर वृद्धि होने, अवैध मादक पदार्थों के अपराध गंभीर किस्म की प्रकृति के अपराध होने और उसका समाज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की वजह से आरोपी को कठोरतम सजा देने की मांग की जबकि आरोपी ने नरमी बरतने का आग्रह किया। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कुल 9 गवाह, 29 दस्तावेजी साक्ष्य और 3 आर्टिकल के आधार पर अभियुक्त हमीरराम पुत्र लाभूराम जाट निवासी सूरपुरा कला पुलिस थाना कड़वड़, जोधपुर को दोषी ठहराते हुए 2 सजा सुनाई।

फर्जी अधिकारी बन घूम रहा युवक गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। नयापुरा इलाके में आर्मी की ड्रेस पहनकर अपने आपको आर्मी का अधिकारी बताने वाले फर्जी सेना अधिकारी बनकर घूम रहे युवक को आर्मी इन्टेलिजेन्स टीम ने शक के आधार पर पकड़कर नयापुरा पुलिस को सौंपा। आर्मी इंटेलिजेंस सीआईडी इंटेलिजेंस व पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही को अंजाम दिया।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि नयापुरा इलाके के नेहरू गार्डन के पास आर्मी इन्टेलिजेन्टस टीम ने आर्मी की वर्दी में घूम रहे और अपने आपको आर्मी का अधिकारी बता रहे संदिग्ध व्यक्ति को डिटेन किया। शहर एसपी ने बताया कि उक्त व्यक्ति से संयुक्त रूप से पूछताछ की गई। गिरफ्तार आरोपी बेरोजगार युवकों को सेना में भर्ती कराने के नाम पर रूपये ठगने का काम करता था। आरोपी से पूछताछ जारी है। पकड़ा गया आरोपी जिला रतलाम के ग्राम जडवासा निवासी महेश गिर (22) है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में पकड़े गये आरोपी को अतिरिक्त जिला कलैक्टर के समक्ष पेश किया गया। पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान जारी है।

दूसरी मंजिल से गिरकर छात्रा की मौत के मामले में परिजनों ने आरोप लगाये

- **पिता ने कहा कि जब हमने छात्रा की तबीयत खराब होने का हवाला देकर परिवार के एक सदस्य को उसके साथ रहने की गुजारिश की तो स्कूल स्टाफ ने मना कर दिया था**
- **परिजनों ने स्कूल के प्रिंसिपल कमलेश कटारिया, स्टाफ कृष्ण वर्मा और टीचर किरण के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करने की शिकायत दी**

श्रीगंगानगर, (निसं)। स्कूल की दूसरी मंजिल से गिरकर छात्रा की मौत के मामले में परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। पिता ने कहा कि जब हमने छात्रा की तबीयत खराब होने का हवाला देकर परिवार के एक सदस्य को उसके साथ रहने की गुजारिश की तो स्कूल स्टाफ ने मना कर दिया था। स्कूल स्टाफ ने कहा कि हमारा सिस्टम हमारे हिसाब से चलेगा। प्रैक्टिकल नहीं दिया तो भविष्य खराब हो जाएगा। टीसी कटवा कर ले जाने की धमकी भी दी।

मामले को लेकर प्रिंसिपल कमलेश कटारिया ने बताया कि वो हमारी बच्ची, उसका जाना हमारे लिए भी दुखद है। स्कूल हर बच्चा हमारे लिए अपना है। 30 सालों से मैं यहां हूं ऐसी घटना कभी नहीं हुई। हमने उनको ऊपर अलाउ भी किया था। बायोलॉजी का प्रैक्टिकल था, सरकारी एग्जामिनर आए थे। पूरे टाइम उसकी मदर और भाई बैठे रहे। शीशे के दरवाजे से वो बाहर बैठकर देख भी रहे थे। एग्जामिनर ने भी कहा था कि बच्ची एकदम ठीक है। पैरेंट्स तीनों प्रैक्टिकल में साथ में रहे हैं। एग्जामिनर ने भी पूछा था कि बेटा तबीयत ख़राब तो नहीं है। तब बच्ची ने ऐसा कुछ नहीं बताया। वो बच्ची कैसे गिरी, क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं पहुंची तब तक उसे अस्पताल ले जाया जा चुका था। हमारी तरफ से परिवार के लिए संवेदना है।

श्रीगंगानगर के कोतवाली थाना एसएचओ ने कहा कि 12वीं मेडिकल साइंस की छात्रा रमनदीप के स्कूल के दूसरे फ्लोर से गिरने के मामले में जांच जारी है। परिजनों ने स्कूल के प्रिंसिपल कमलेश कटारिया, स्टाफ कृष्ण वर्मा और टीचर किरण के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करने की शिकायत दी है। सीसीटीवी खंगाल रहे हैं।

छात्रा के पिता विजय कुमार ने शिकायत में बताया कि रमनदीप को ऊंचाई से डर लगता था और वह छत पर भी नहीं जाती थी। उसकी तबीयत कई दिनों से खराब चल रही थी। 8 जनवरी को हमने स्कूल स्टाफ से रिक्वेस्ट की थी कि छात्रा के प्रैक्टिकल के दौरान परिवार के किसी सदस्य को साथ रहने दिया जाए, लेकिन स्कूल स्टाफ ने मना कर दिया। स्कूल स्टाफ ने कहा कि हमारा सिस्टम आपके हिसाब से नहीं चलेगा। इसके बाद जबरन 11,960 रुपए फीस जमा करवाई गई, जिसमें से 4 हजार की रसीद भी नहीं दी गई।

विजय कुमार ने बताया कि 14 जनवरी को फिजिक्स का पेपर था। पत्नी देवकी साथ गई, लेकिन रमनदीप को जबरदस्ती एग्जाम देने दूसरी मंजिल पर ले जाया गया, जहां वह बेहोश हो गई। इसके बाद उसे मुश्किल से नीचे लाया गया और दवाई दी गई। इसके बाद फिर से प्रैक्टिकल के लिए वापस ऊपर ले जाने की कोशिश की गई। जब हमने इसका विरोध किया तो प्रिंसिपल ने कहा कि प्रैक्टिकल नहीं दिया तो रिजल्ट खराब होगा, स्कूल की बदनामी होगी। टीसी कटवाकर घर ले जाओ। पिता ने बताया कि 16 जनवरी को फिर से बायोलॉजी प्रैक्टिकल के लिए फिर दबाव डाला गया। जिसके बाद रमनदीप को तबीयत खराब होने के बावजूद दूसरी मंजिल पर ले जाया गया। प्रैक्टिकल पूरा कर लैब से निकलते ही रमनदीप को चक्कर आया और वह सीढ़ियों बालकनी से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिर गई। जिसे पत्नी और भांजे ने देखा और शोर मचाया। रमनदीप को तुरंत अर्पण हॉस्पिटल लेकर जाया गया जहां से उसे सरकारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी है। इसमें स्कूल स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज करने की अपील की है। परिजनों का कहना है कि छात्रा की मौत स्कूल स्टाफ की लापरवाही और जिद के कारण हुई है। वे लगातार ऊपर ले जाने पर अड़े रहे, जबकि स्वास्थ्य खराब होने की बार-बार जानकारी दी गई थी। छात्रा का शव अभी सरकारी हॉस्पिटल की मोर्चरी में है। अभी तक पोस्टमॉर्टम नहीं हो पाया है। स्कूल में कुल 3 फ्लोर है, दूसरे फ्लोर पर प्रैक्टिकल आयोजित हो रहे थे। लैब से निकलते ही रमनदीप हॉल में आ गिरी।

लॉरेंस गैंग का खास गुर्गा रितिक बॉक्सर अजमेर जेल से गिरफ्तार

- **रितिक बॉक्सर को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से बीकानेर लाई पुलिस**

बीकानेर, (निसं)। सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन, आमजन को डराने के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस के खास गुर्गे रितिक बॉक्सर को गिरफ्तार किया है। उसे अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से प्रॉडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लाया और कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

नयाशहर पुलिस थाने में 9 मार्च, 2023 को टैक्स, जीएसटी का काम करने वाले वकील को धमकाकर 4 लाख रुपए मांगने और 40,000 रुपए हासिल करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। फिरौती की रकम गैंगस्टर लॉरेंस के खास रितिक बॉक्सर के लिए मांगी गई थी। इस मामले की छानबीन में पुलिस सोशल मीडिया हथियारों के प्रदर्शन और गैंग से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी मिली तो एक अन्य एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें रितिक बॉक्सर और नीरज यादव को नामजद किया गया। पुलिस ने नीरज को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था और रितिक वांछित था। मामले की जांच कर रहे गंगाशहर पुलिस थाने के एसएचओ परमेश्वर सुथार ने बताया कि रितिक को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से प्रॉडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर बीकानेर लाया गया। उसे कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट में पेशी के दौरान क्यूआरटी के हथियारबंद जवान, सदर पुलिस थाने का जाब्ता मौजूद रहा। रितिक पर 20 से ज्यादा मुकदमे रितिक बॉक्सर हार्डकोर अपराधी है जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता रहा है। उस पर हत्या, जानलेवा हमला, फिरौती, सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन जैसे गंभीर प्रवृत्ति के 20 से ज्यादा मुकदमे हैं। जयपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, हरियाणा के पुलिस थानों में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं।

गलत कमेंट करने पर केस दर्ज : जोधपुर में एक महिला कांस्टेबल की फोटो पर आपत्तिजनक कमेंट किए जाने का पुलिस में दर्ज हुआ है। पुलिस ने अदालत से मिले इस्तगासे पर आईटी एक्ट की धारा में प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस इस बारे में अग्रिम जांच में जुटी है। मंडोर पुलिस ने बताया कि एक महिला कांस्टेबल ने कोर्ट में इस्तगासे के जरिए केस दर्ज कराया है। इसका आरोप है कि किसी ने उसकी फोटो पर आपत्तिजनक कमेंट कर मैसेज डाले है। मैसेज क्या थे और किस नंबर से आए थे इसका खुलासा रिपोर्ट में नहीं किया गया है। पुलिस के अनुसार महिला कांस्टेबल उदयपुर से यहां पर ट्रूनिंग करने आई थी, तब की घटना हो सकती है। फिलहाल इसमें अब पड़ताल की जा रही है।